प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 871 सन 2021

अनवान :-

1. जसविन्द्र सिह पुत्र माडासिह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ ओतावाली तहसील व जिला मानसा पंजाब

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

2. सुजान कौर पत्नी माडासिह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ ओतावाली तहसील व जिला मानसा पंजाब ।
3. जसपाल कौर पुत्री माडासिह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ ओतावाली तहसील व जिला मानसा पंजाब

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.0960हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है गाडसिह उर्फ माडासिह का देहान्त हो चुका है गाडसिह उर्फ माडासिह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गाडसिह पुत्र धानसिह दर्ज किया हुआ हे जबकि वादी के पिता का सही नाम माडासिह है वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवा कर माडासिह दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की गाडसिह उर्फ माडासिह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है गाडसिह उर्फ माडासिह का देहान्त हो चुका है गाडसिह उर्फ माडासिह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.0960हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है गाडसिह उर्फ माडासिह का देहान्त हो चुका है गाडसिह उर्फ माडासिह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार वादी के पिता माडासिह पुत्र धानसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि उसके पिता का सही नाम माडासिह है किन्तु राजस्व रिकार्ड में गाडसिह दर्ज है जिसे संशोधन करवाना चाहता है वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमे आम की जानकारी के अनुसार वादी के पिता का नाम माडासिह होना प्रतीत होता है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.0960हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गाडसिह दर्ज है के स्थान पर माडासिह उर्फ गाडसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...22 एनटीआर.

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जसविन्द्र सिह पुत्र माडासिह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ ओतावाली तहसील व जिला मानसा पंजाब

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

2. सुजान कौर पत्नी माडासिह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ ओतावाली तहसील व जिला मानसा पंजाब ।
3. जसपाल कौर पुत्री माडासिह जाति जटसिख निवासी कर्मगढ ओतावाली तहसील व जिला मानसा पंजाब

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 871 सन 2021 निर्णय दिनांक–25.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.0960हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गाडसिह उर्फ माडासिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गाडसिह दर्ज है के स्थान पर माडासिह उर्फ गाडसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.10.2021को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....22 एनटीआर.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर